अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

कार्यालयाध्यक्ष का नाम— मो0 अहसान
टेलीफोन नम्बर— कार्यालय—01334—239244
मोबाईल—9412023842
कार्यालय कक्ष संख्या व तल—29, प्रथम तल
ई—मेल आई0डी0— dmwohdr@gmail.com

अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षित विवरण

1. **बहुक्षेत्रीय विकास योजना (एम0एस0डी0पी0) :—** भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के मात्र दो जनपदों में जनपद उधमसिंह नगर एंव हरिद्वार में यह योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में अल्पसंख्यकों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थय एंव रोजगार से सम्बन्धित योजनाओं को लागू करने का प्राविधान है।
2. **भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाएः—**
   1) **प्रीमैट्रिक छात्रवृत्तिः—** यह योजना कक्षा 1 से 10 की कक्षाओं हेतु ऐसे छात्र—छात्राओं जिन्होने गत् वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये हों तथा अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से अधिक न हो ऐसे छात्रों को कक्षा 1 से 5 तक रू0 1000/— कक्षा 6 से 10 तक रू0 1000/— एंव 10 माह का शिक्षण शुल्क दिये जाने का प्राविधान है।
   2) **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :—** यह योजना कक्षा 11 से पी0एच0डी0 की कक्षाओं हेतु ऐसे छात्र—छात्राओं जिन्होने गत् वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये हों तथा अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो ऐसे छात्रों को कक्षा 11 से 12 तक अधिकतम रू0 8400/— तथा कक्षा 12 से ऊपर अधिकतम रू0 4850/— दिये जाने का प्राविधान है।
   3) **मैरिटकम मीन्स छात्रवृत्ति :—** इस योजनान्तर्गत व्यवसायिक एंव मैडीकल वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.5 लाख से अधिक नही होनी चाहिए। यह योजना आनलाइन है।
3. **मदरसा अवंसरचना योजना (आई0डी0एम0आई0):—** भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं एंव मदरसों में कक्षा कक्षों, कम्प्यूटर कक्षों, शौचालय एंव छात्रावास आदि के निर्माण हेतु रू0 50.00 लाख दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में तथा 25 प्रतिशत मदरसा प्रबन्ध समिति द्वारा निर्माण कार्यों में लगाये जाने का प्राविधान है।
4. **एस0पी0क्यू0ई0एम0 योजना :—** मदरसों में दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत जनपद 107 मदरसों का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक मदरसे में तीन—तीन अध्यापकों की नियुक्ति मदरसा प्रबन्ध समिति द्वारा की गई। ऐसे मदरसे जो तीन वर्ष से अस्तित्व में हो तथा मान्यता प्राप्त हो को उक्त योजना में लाभान्वित किया जा सकता है। जिसमें एम0ए0,एम0एस0सी0 के साथ बी0एड धारक को रू0 12000/— प्रति माह तथा बी0ए0, धारक को रू0 6000/— प्रति माह दिये जाने का प्राविधान है।
5. **अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (राज्य सरकार) :—** यह योजना कक्षा 1 से 10 तक संचालित है। इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक रू0 600/—, कक्षा 6 से 8 तक रू0 960/— एंव कक्षा 9 से 10 तक रू0 1440/— दिये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत वे छात्र पात्र होंगे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय गरीबी रेखा से दोगुने से अधिक नही होगी।

(मो0 अहसान)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
हरिद्वार।